[24/3/2025] 2
विप्रभा / क्र. 2827

:: कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ (म.प्र.) ::

क्रमांक/6260/रीडर/2024 झाबुआ, दिनांक 28/12/2024

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद झाबुआ

विषय :– वेंडर जोन के सबंध में ।

सदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक--6411/न.पा./2024 दिनांक 27.12.2024 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक–5677/रीडर/2024 दिनांक 21.11.2024

--::000::--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा नगरीय क्षेत्र झाबुआ में अतिक्रमण हटाओं मुहिम के दौरान जिन व्यवसायियों की घुमटिया, हाथ थेला, एवं स्टाल आदि हटाये गये थे, उनके द्वारा अतिक्रमण मुहिम के पश्चात परिषद एवं नगर पालिका अध्यक्ष के समक्ष बार–बार व्यवसाय हेतु उचित स्थान/वेण्ड जोन विकसित किए जाने की मांग किए जाने के कारण नगर पालिका परिषद के सदस्यों के द्वारा उक्त विषय आम नागरिकों के हितार्थ एवं निकाय की राजस्व वृद्वि को देखते हुए वेण्डर जोन विकसित किए जाने हेतु परिषद बैठक दिनांक 21.10.2024 को रखा गया था जिसमें परिषद बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा परिषद संकल्प क्रमांक–169 दिनांक 21.10.2024 से स्वीकृती प्रदान की गई थी एवं प्रस्ताव अनुसार स्थानों के चयन एवं उनमें वेण्डर जोन विकसित किये जाने हेतु एवं अनुशंसा हेतु परिषद की ओर नियुक्त किया गया था । उक्त वेण्डर जोन में प्रति वेण्डर से 30000/– रूपये अनापत्ति शुल्क एवं लायसेंस शुल्क 1000/– रूपय्र प्रतिमाह वेण्डर से प्रस्ताव अनुसार निर्धारित किया गया हैं एवं वेण्डर जोन में घुमटियों का निर्माण निकाय द्वारा निर्धारित मापदण्ड (3×5 व.फी.) अनुसार स्वयं के द्वारा निर्माण किया गया है । इस हेतु सर्वप्रथम सिद्वेश्वर कालोनी मार्ग हेतु वार्ड पार्षद के माध्यम से 43 आवेदन प्राप्त होना उल्लेखित किया गया हैं संबंधी प्रतिवेदन आपके द्वारा प्रेषित किया गया हैं ।

इस संबंध में मौका स्थल जॉच प्रतिवेदन नजूल निरीक्षक झाबुआ से प्राप्त किया गया । प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार नगर पालिका झाबुआ द्वारा सिद्वेश्वर कालोनी महादेव मंदिर रोड पशु चिकित्सालय झाबुआ की बाउण्ड्री से लगकर साईज 3×5 व.फी. की कुल 51 घुमटियॉ लगाई गई हैं। उक्त भूमि नजूल रास्ते मद की भूमि हैं ।

संदर्भित पत्र दिनांक 21.11.2024 के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि उक्त भूमि नजूल की भूमि होने से नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के निर्देशों के तहत् श्रीमान कलेक्टर महोदय को विधिवत् आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु आपके द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के उक्त घुमटियों को सिद्वेश्वर कालोनी झाबुआ में स्थापित किया गया हैं जिन्हें आज ही उक्त स्थल से हटवाना सुनिश्चित करें ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुभाग झाबुआ

पृ.क्रमांक/6261/रीडर/2024 झाबुआ, दिनांक 28/12/2024

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. तहसीलदार तहसील झाबुआ की भेजकर लेख है कि उक्त नजूल भूमि घुमटियो को नगर पालिका झाबुआ के मध्यम से हटवाना सुनिश्चित करें तथा उक्त स्थल पर पुनः अतिक्रमण न हो संवंधी कार्यवाही करें ।
3. नजूल निरीक्षक झाबुआ की भेजकर लेख है कि उक्त स्थल पर पुनः अतिक्रमण न हो संवंधी कार्यवाही करें ।

अनुभाग अधिकारी
राजस्व (शाखा-5) विभाग
म० प्र० शासन

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुभाग झाबुआ

D:\SDM JHABUA\SDM JHABUA\RIDER\kothari letter.doc

परिशिष्ट - डी

:: कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआं (म.प्र.) ::

क्रमांक/1112 /रीडर/2025

झाबुआ, दिनांक 28/02/2025

प्रति.

गुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद झाबुआ

विषय :- वेंडर जोन के सबंध में ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक–6411/न.पा./2024 दिनांक 27.12.2024 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक–5677/रीडर/2024 दिनांक 21.11.2024 व पत्र क्रमांक–6260/रीडर/2024 दिनांक 28.12.2024

—::000::—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । संदर्भित पत्र द्वारा नगरीय क्षेत्र झाबुआ में अतिक्रमण हटाओं मुहिम के दौरान जिन व्यवसायियों की घुमटिया, हाथ थेला, एवं स्टाल आदि हटाये गये थे, उनके द्वारा अतिक्रमण मुहिम के पश्चात परिषद एवं नगर पालिका अध्यक्ष के समक्ष बार–बार व्यवसाय हेतु उचित स्थान/वेण्ड जोन विकसित किए जाने की मांग किए जाने के कारण नगर पालिका परिषद के सदस्यों के द्वारा उक्त विषय आम नागरिकों के हितार्थ एवं निकाय की राजस्व वृद्वि को देखते हुए वेण्डर जोन विकसित किए जाने हेतु परिषद बैठक दिनांक 21.10.2024 को रखा गया था जिसमें परिषद बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा परिषद संकल्प क्रमांक–169 दिनांक 21.10.2024 से स्वीकृती प्रदान की गई थी एवं प्रस्ताव अनुसार स्थानों के चयन एवं उनमें वेण्डर जोन विकसित किये जाने हेतु एवं अनुशंसा हेतु परिषद की ओर नियुक्त किया गया था । उक्त वेण्डर जोन में प्रति वेण्डर से 30000/– रूपये अनापत्ति शुल्क एवं लायसेंस शुल्क 1000/– रूपय्र प्रतिमाह वेण्डर से प्रस्ताव अनुसार निर्धारित किया गया हैं एवं वेण्डर जोन में घुमटियों का निर्माण निकाय द्वारा निर्धारित मापदण्ड (3×5 व.फी.) अनुसार स्वयं के द्वारा निर्माण किया गया है । इस हेतु सर्वप्रथम सिद्वेश्वर कालोनी मार्ग हेतु वार्ड पार्षद के माध्यम से 43 आवेदन प्राप्त होना उल्लेखित किया गया हैं संबंधी प्रतिवेदन आपके द्वारा प्रेपित किया गया हैं ।

संदर्भित पत्र दिनांक 28.12.2024 के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि आपके द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के उक्त घुमटियों को सिद्वेश्वर कालोनी झाबुआ में स्थापित किया गया हैं जिन्हें आज ही उक्त स्थल से हटवानें हेतु लिखा गया किन्तु उक्त घुमटिया आज दिनांक तक उक्त स्थल से नहीं हटवाई गई हैं ।

अतः सिद्वेश्वर कालोनी महादेव मंदिर रोड पशु चिकित्सालय झाबुआ की बाउण्ड्री से लगकर साईज 3×5 व.फी. की कुल 51 घुमटियॉ को तत्काल हटवाना सुनिश्चित करें ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुभाग झाबुआ

पृ.क्रमांक/1113 /रीडर/2025

झाबुआ, दिनांक 28/02/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. तहसीलदार तहसील झाबुआ की भेजकर लेख है कि उक्त नजूल भूमि घुमटियो को नगर पालिका झाबुआ के मध्यम से हटवाना सुनिश्चित करें तथा उक्त स्थल पर पुनः अतिक्रमण न हो संबंधी कार्यवाही करें ।
3. नजूल निरीक्षक झाबुआ की भेजकर लेख है कि उक्त स्थल पर पुनः अतिक्रमण न हो संबंधी कार्यवाही करें ।

अनुभागीय अधिकारी, राजस्व (शाखा-5) विभाग म.प्र. शासन

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुभाग झाबुआ

D:\SDM JHABUA\SDM JHABUA\RIDER\kothari letter.doc